न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 15/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– देवीपुरा कोठी, जिला सीकर (राजस्थान)

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. धीरज सिंह पुत्र मदन सिंह, — ऋधी/बंधनकर्त्ता
   पताः– बजाज सर्किल के पास, देवीपुरा, जिला सीकर राज. 332001
   पताः– आनन्द कॉलोनी, स्वामी की ढ़ाणी, सीकर राजस्थान।
2. सुनीता पत्नी धीरज सिंह — सह ऋणी
   पताः– बजाज सर्किल के पास, देवीपुरा, जिला सीकर राज. 332001
   पताः– आनन्द कॉलोनी, स्वामी की ढ़ाणी, सीकर राजस्थान।
3. पवन कुमार शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा — जमानती
   वार्ड नं. 21, गंगा विहार कॉलोनी, धोद रोड़, सीकर राज. 332001
4. प्रकाश विश्वकर्मा — जमानती
   सेन्ट पॉल स्कूल, वार्ड नंत्र 38, राधाकिशनपुरा, सीकर राज. 332001

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 05 जनवरी, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री महेश कुमार मिश्रा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण धीरज सिंह, सुनीता, पवन कुमार शर्मा, प्रकाश विश्वकर्मा को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में धीरज सिंह पुत्र मदन सिंह की आनन्द कॉलोनी, स्वामी की ढ़ाणी, सीकर राज. स्थित सम्पत्ति बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षैत्रफल 95 वर्गगज, जिसके पूर्व में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में सीताराम की सम्पत्ति, उत्तर में हरदेव राम का सम्पत्ति, दक्षिण में रास्ता स्थित है, को बंधक रखकर 19,80,000/–रूपये (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.07.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 13.07.2017 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण धीरज सिंह, सुनीता, पवन कुमार शर्मा, प्रकाश विश्वकर्मा की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक धीरज सिंह पुत्र मदन सिंह की आनन्द कॉलोनी, स्वामी की ढ़ाणी, सीकर राज. स्थित सम्पत्ति बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षैत्रफल 95 वर्गगज, जिसके पूर्व में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में सीताराम की सम्पत्ति, उत्तर में हरदेव राम का सम्पत्ति, दक्षिण में रास्ता स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांक: 05 फरवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner